5/6/26	पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में पूर्व में ~~बही~~ रजिस्टर्ड ad पेश करने बाबत कई अवसर दिये जा चुके हैं परन्तु बार-बार अवसर दिये जाने पर भी आदिनांक तक रजिस्टर्ड ad notice पेश नहीं किए गए हैं। इससे यह साबित होता है कि वादी अपने वादपत्र को आगे चलाने हेतु इच्छुक नहीं है। व अनावश्यक रूप से न्यायालय का समय भी जाया किया जा रहा है इस कारण उक्त दावा O 9 R 5 व धारा 151 CPC के तहत खारिज किया जाकर दाखिल दफ्तर किया जाता है। [signature] उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)